Speed Post

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

छठा तल, "बी" विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट,
नई दिल्ली–110003

दिनांकः 08/04/2019

File No. SKM/1/2018/MHIP3/SEPROM/RU-III

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
भारतीय हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड
सीरी फोर्ट, नई दिल्ली –110049.

विषयः दिनांक 13–03–2019 को माननीय उपाध्यक्ष महोदया द्वारा भारतीय हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड के अधिकारीयों के साथ हुई बैठक का कार्यवृत ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर आयोग के मुख्यालय में दिनांक 13–03–2019 को हुई बैठक का संदर्भ ग्रहण करें । उक्त बैठक का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है । आपसे अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिये गये सुझावों पर कार्यवाही करते हुए कार्यवाही रिपोर्ट इस आयोग को **30 दिन** के भीतर उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

संलग्नः यथोपरि

भवदीय,
8/4/2019

(डॉ. ललित लड्ढा)
निदेशक

__प्रतिलिपिः__

1. श्री सुरेश कुमार मरकाम,
   उप–महाप्रबंधक, भेल भोपाल,
   I/47, अवधपुरी, भोपाल (म.प्र.)
2. एस.ए.एस, एन.आई.सी, एन.सी.एस.टी वेबसाईट में अपलोड करें ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- SKM/1/2018/MHIP3/SEPROM/RU - III)

श्री सुरेश कुमार मरकाम, उप-महाप्रबंधक भेल, A/47, अवधपुरी, भोपाल (म.प्र.) द्वारा अपेक्षित पदोन्नति न होने एवं पदोन्नति में भेदभाव करने के संबंध में दिए गए अभ्यावेदन के मामले में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीय उपाध्यक्ष सुश्री अनुसूईया उइके की अध्यक्षता में दिनांक 13.03.2019 को दोपहर 12.30 बजे आयोग में आयोजित बैठक का कार्यवृत।

बैठक की तिथि : 13.03.2019

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

---

1. श्री सुरेश मरकाम, उप-महाप्रबंधक भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड (भेल) द्वारा अपेक्षित पदोन्नति न होने एवं पदोन्नति में भेदभाव करने के संबंध में आयोग को अभ्यावेदन दिया गया था। जिस पर आयोग ने संज्ञान लेकर दिनांक 28.08.2018 को नोटिस जारी कर जानकारी मंगाई।
2. मामले में भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड (भेल) से दिनांक 11.10.2018 को जवाब प्राप्त हुआ। अपने जवाब में भेल द्वारा बताया गया कि श्री सुरेश मरकाम को उप-महाप्रबंधक से वरिष्ठ उप-महाप्रबंधक के पद पर पदोन्नति के लिए वर्ष 2016,17,18 में कंपनी के दिशानिर्देशों के अनुसार विचार किया गया। निम्न ग्रेड से उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए निम्न ग्रेड में न्यूनतम सेवा अवधि पूरा करना होता है। निम्न ग्रेड से उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए कंपनी के पदोन्नति दिशानिर्देश के अनुसार वर्ष 2016 में 50 फीसदी और अगले वर्ष 30 फीसदी निर्धारित है।

   उच्च स्तर पर पदोन्नति के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है, विभागीय पदोन्नति कमेटी (डीपीसी) पदोन्नति पर विचार करती है। डीपीसी द्वारा शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, प्रदर्शन रिपोर्ट, व्यक्तिगत साक्षात्कार, उपयुक्तता, उपलब्धि, बड़ी जिम्मेदारियों के निवर्हन की क्षमता आदि का मूल्यांकन किया जाता है तत्पश्चात उम्मीदवार को वरिष्ठ उप-महाप्रबंधक के पद पर पदोन्नति की अनुशंसा भेजी जाती है।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

3. पत्र में आगे बताया गया है कि, वर्ष 2016 में भोपाल केंद्र में उप-महाप्रबंधक ग्रेड में 42 उम्मीदवारों को वरिष्ठ उप-महाप्रबंधक के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जाना था जिसमें 23 उम्मीदवारों को पदोन्नति मिली। इसमें 9 उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति वर्ग के थे जो 39.13 प्रतिशत है। इसी प्रकार वर्ष 2017 में 16 उम्मीदवारों की पदोन्नति हुई जिसमें अनुसूचित जनजाति के 5 उम्मीदवार थे, जो कुल पदोन्नति का 31.25 प्रतिशत था। वर्ष 2018 में केंद्र के कुल 78 उम्मीदवारों की पदोन्नति पर विचार की जानी थी जिसमें 32 उम्मीदवारों की पदोन्नति हुई जो कुल पदोन्नति का 28.12 प्रतिशत है। वर्ष 2016, 2017, 2018 में श्री सुरेश कुमार मरकाम को मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद पदोन्नति महीं मिल पाई।
4. मामले में विभाग द्वारा प्राप्त उक्त जवाब की प्रति अभ्यावेक को भेजी गई थी। जवाब से असंतुष्टि जाहिर करते हुए अभ्यावेदक ने न्याय दिलाने के लिए आयोग से निवेदन किया। मामले पर विचार करते हुए आयोग द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 13.03.2019 को दोपहर 12.30 बजे बैठक निर्धारित की गई थी।
5. दिनांक 13.03.2019 को दोपहर 12.30 बजे माननीय उपाध्यक्ष महोदया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में भेल के महाप्रबंधक- समीर मुखर्जी, उप महाप्रबंधक- शिल्पा मयेंकर, कार्यपालक निदेशक- अनिल कपूर, उप-प्रबंधक- प्रवीण नायक उपस्थित हुए।
6. बैठक में अभ्यावेदक उपस्थित नहीं हुए किंतु दूरभाष पर संपर्क करने पर, श्री सुरेश कुमार मरकाम ने बताया कि वे भेल, भोपाल में उप-महाप्रबंधक के पद पर चिकित्सा विभाग के सामग्री प्रबंधन विभाग में कार्यरत हैं। चिकित्सा विभाग के क्रय विभाग एवं मेन स्टोर के समस्त कार्यों को अपने नॉन एक्जक्यूटिव सदस्यों के साथ निष्पादित करते हैं। साथ ही सेंट्रल फार्मेसी एवं प्रशासनिक कार्यों को भी करता हैं। वे पदोन्नति के लिए वर्ष 2016 से पात्र हैं। उन्हें 2004 में प्रबंधक बनने से आज तक उप-महाप्रबंधक होने तक 14 वर्ष के सेवाकाल में सिर्फ 2 पदोन्नति मिल सकी है। उन्हें वर्ष 2016 से ही पदोन्नति मिलनी चाहिए। यहां नॉन मेडिको एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जाता है।
7. भेल के अधिकारियों ने कंपनी का पक्ष रखते हुए बताया, हमारे यहां उच्च स्तर पर 30 प्रतिशत ही प्रमोशन होता है। श्री सुरेश कुमार मरकाम पहले झांसी में पदास्थापित थे फिर स्थानांतरण लेकर भोपाल आए। अनुसूचित जनजाति श्रेणी में पिछले वर्ष 6 अधिकारियों

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

को वरिष्ठ उप-महाप्रबंधक के पद पर पदोन्नति मिली है, जिससे स्पष्ट होता है कि पदोन्नति के मामले में कंपनी द्वारा किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है।

8. एसईआर और नंबर के आधार पर पदोन्नति मिलती है जिसमें 100 अंक में शैक्षणिक योग्यता, प्रदर्शन और अनुभव मुख्य आधार होता है। इन्हें पहली पदोन्नति निर्धारित समय पर मिली थी। कमिटी में अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण के सदस्य भी होते हैं। श्री सुरेश कुमार मरकाम द्वारा हल्के दायित्व के लिए आवेदन दिया गया था। जिसके बाद वर्ष 2005 से उन्हें मेडिकल के क्रय विभाग में पदास्थापित किया गया है।
9. अभ्यावेदक ने दूरभाष पर आयोग को अवगत कराया कि उन्होंने स्थानांतरण के लिए आवेदन दिया था न कि हल्के दायित्व के लिए। मेडिकल के कर्मियों का मूल्यांकन अलग आधार पर किया जाता है और उसमें उनके अंक अधिक थे। शुरू में कंपनी द्वारा मेडिकल आधार पर हल्के काम दिए गए हालांकि मेडिकल के क्रय विभाग का काम भी हल्का नहीं है। साथ ही वे अन्य प्रशासनिक दायित्वों का भी निर्वहन करते हैं।
10. भेल प्रबंधन के अनुसार, ई-5 से ई-6 में पदोन्नति का दर बहुत कम है और यह पूरी तरह से डीपीसी द्वारा विभिन्न मानकों पर मूल्यांकन के बाद प्राप्त अंक के आधार पर ही होता है। कंपनी में पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष है। पहले वर्ष में पदोन्नति की संभावना का दर 50 प्रतिशत होता है जबकि दूसरे और तीसरे वर्ष में यह कम होकर 30 प्रतिशत हो जाता है।
11. अभ्यावेदक के अनुसार, प्रबंधन के द्वारा मेडिकल क्रय विभाग के अधिकारियों के साथ भेदभाव किया जाता है, पदोन्नति कमेटी द्वारा वर्ष 2016 में पदोन्नति के मानक- उपयुक्तता में 10 में 2.19 अंक दिया गया जबकि अन्य मानकों में अच्छे अंक प्राप्त हुए थे।
12. आयोग द्वारा सभी पक्षों को सुनने के पश्चात निम्नलिखित अनुशंसा की गई : -
    - प्रबंधन द्वारा मेडिकल क्रय विभाग के कार्य को आसान माना जा रहा है जिसके कारण संबंधित विभाग के अधिकारियों के कार्यों के मूल्यांकन में आसान कार्य समझकर कम अंक दिए जा रहे हैं जिससे प्रबंधन द्वारा पदोन्नति में भेदभाव किया जाना प्रतीत होता है। इस विभाग के कर्मियों को पूर्वाग्रह की मानसिकता के साथ देखा जाता है। संभव है कि इस कारण उन्हें प्रदर्शन के कम अंक दिए जाते हों। उक्त विभाग में कार्यरत अधिकारी कंपनी द्वारा पदास्थापित करने के कारण ही वहां कार्य कर रहे हैं। अतः सभी विभागों के कर्मियों व अधिकारियों के कार्यों का मूल्यांकन समान व निष्पक्ष तरीके से की जाए।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

- साक्षात्कार के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए जाए जिसमें प्रत्येक विधा/विशेषता आदि के लिए अंक प्रदान करने के मानक तय किए जाएं। साथ ही सभी उम्मीदवारों का निष्पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाए।
- प्रबंधन द्वारा पदोन्नति प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से संचालित की जाय। साथ ही साक्षात्कार प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- SKM/1/2018/MHIP3/SEPROM/RU - III)

श्री सुरेश कुमार मरकाम, उप-महाप्रबंधक भेल, A/47, अवधपुरी, भोपाल (म.प्र.) द्वारा अपेक्षित पदोन्नति न होने एवं पदोन्नति में भेदभाव करने के संबंध में दिए गए अभ्यावेदन के मामले में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीय उपाध्यक्ष सुश्री अनुसूईया उइके की अध्यक्षता में दिनांक 13.03.2019 को दोपहर 12.30 बजे आयोग में आयोजित बैठक में उपस्थित अधिकारियों/ कर्मचारियों की सूची –

- **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**

(1.)	सुश्री अनुसुईया उईके,	माननीय उपाध्यक्ष
(2.)	श्री ए. के. सिंह,	सचिव
(3.)	डॉ ललित लट्टा,	निदेशक
(4.)	श्री गौरव कुमार,	उपाध्यक्ष महोदया के निजी सचिव
(5.)	श्री आलोक कुमार द्विवेदी,	परामर्शक

- **भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड (भेल) के अधिकारी**

(1.)	श्री समीर मुखर्जी,	महाप्रबंधक
(2.)	शिल्पा मयेंकर,	उप-महाप्रबंधक
(3.)	श्री अनिल कपूर,	कार्यपालक निदेशक
(4.)	प्रवीण नायक,	उप-प्रबंधक